न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
51/प्रा0पत्र/18	05.03.2018	22.02.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, नैंनवा

–प्रार्थी

बनाम

बद्रीलाल आ0 पोखर जाति गुर्जर निवासी सीसोला तहसील नैंनवा जिला बून्दी

उपस्थित– –अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थी के विरूद्व–एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 1056 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम बड़ी पडाप आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2002 को निर्णय पारित कर तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1999 निरस्त किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.04.2002 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अप्रार्थी द्वारा अपील किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 06.10.2017 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2002 निरस्त कर प्रकरण को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया कि अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 06.12.2019 को इसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थी (आवंटी) पंचायत क्षेत्र रजलावता का निवासी नहीं है। आवंटी ग्राम पंचायत सीसोला का निवासी है। आवंटी बाहर का निवासी है जिसे अवैधानिक रूप से भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन नियमों में जिस ग्राम पंचायत में भूमि हो वहां के निवासियों को वरियता के आधार पर भू आवंटन किये जाने के प्रावधान है। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 1056 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम बड़ी पडाप आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1999 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A8/2

...नन बहस पेरोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से आवंटी पंचायत क्षेत्र रजलावता में निवास नहीं करता है वरन ग्राम पंचायत सीसोला में निवास करता है। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है वहां भूमि का आवंटन उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में आवंटी ग्राम पंचायत क्षेत्र रजलावता का निवासी नहीं होकर अन्य ग्राम पंचायत सीसोला का निवासी होने से आवंटन विधि अनुकूल होना प्रतीत नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण इस न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने पर अप्रार्थी को तलब किये जाने के बावजूद भी इस न्यायालय में उनके उपस्थित नहीं आने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि उनको आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आंवटी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 1056 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम बड़ी पडाप आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1999 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर,
बून्दी (राज०)